कार्यालयः गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

नीलामी सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण की वाहन संख्या यू0पी0–53 ए0जी0 0333 एमबेस्डर कार (2008 माडल), यू0पी0–53 ए0जी0 0225 एमबेस्डर कार (2008 माडल),यू0पी0–53 ए0एक्स 4400 एमबेस्डर कार (2011 माडल) एवं यू0पी0–53 ए0एक्स 5001 एमबेस्डर कार (2011 माडल) की नीलामी जहाँ है, जैसी हालत में है, सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 27.07.2022 को अपरान्ह 3.00 बजे गोरखपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में सम्पादित किया जायेगा। नीलामी अधिकत्म बोली पद्धति से की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता निर्धारित 10% जमानत धनराशि नकद/ बैंक ड्राफ्ट से विकास प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने के उपरान्त ही नीलामी में भाग ले सकते है विवरण निम्नवत हैः–

क्र0स0	वाहन संख्या	न्यूनतम् आरक्षित मूल्य	10%जमानत धनराशि
1	यू0पी0–53 ए0जी0 0333	18000.00	1800.00
2	यू0पी0–53 ए0जी0 0225	25000.00	2500.00
3	यू0पी0–53 ए0एक्स 4400	20000.00	2,000.00
4	यू0पी0–53 ए0एक्स 5001	25000.00	2500.00

वाहन नीलामी की शर्तेः–

1. नीलामी दिनांक 27.07.2022 को अपरान्ह :3..00 बजे, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, कार्यालय में सम्पन्न होगी।
2. वाहन जहाँ है, जैसी हालत में है, की नीलामी की जायेगी।
3. नीलामी खुली बोली पद्धति से की जायेगी।
4. वाहन नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी से पूर्व जमानत के तौर पर दिये गये विवरण के अनुसार नकद/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राधिकरण कार्यालय में धनराशि जमा करना होगा।
5. नीलामी सम्पन्न होते ही बोली गयी उच्चतम् बोली के 1/4 के बराबर धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।
6. नीलामी की सर्वोच्च बोली की स्वीकृति प्राप्त होने के 24 घण्टे के अन्दर नीलामी की शेष समस्त धनराशि प्राधिकरण कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित अविध में धनराशि जमा न करने की दशा में जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
7. नीलामी की स्वीकृति प्राप्त होने तथा नीलामी की समस्त धनराशि जमा करने के पश्चात वाहन सर्वोच्च बोलीदाता को सुपुर्द कर दिया जायेगा, उसके पश्चात वाहन की समस्त जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
8. नीलामी की स्वीकृति / अस्वीकृति का सर्वाधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर में निहित है।
9. वाहन नीलामी स्थल से ले जाने का समस्त व्यय क्रेता का होगा।
10. स्वीकृत उच्चतम् बोली पर नियमानुसार करों की देयता क्रेता का होगा।

(यू0पी0 सिंह)
सचिव।